

## केन्द्र की मानक परिचालन प्रक्रिया

- 1 कौशल विकास सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्थायी निवासियों के लिए हैं ।
- 2 एक छात्र पूरी कौशल विकास शिक्षा परियोजना के दौरान सिर्फ एक बार एवं एक पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किया जा सकता है ।
- 3 कौशल विकास परियोजना के तहत नामांकन हेतु प्रत्येक छात्र का आधार संख्या होना अनिवार्य है ।

### कक्षा समूह

- 1 नामांकन हेतु न्यूनतम भौक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए ।
- 2 केन्द्र में उपलब्ध संसाधन के आधार पर 20/ 40 छात्रों को समूह बनाया जाएगा ।
- 3 कार्यशाला की अवधि प्रतिदिन 2 घंटे प्रति कक्षा होगी ।
- 4 प्रत्येक समूह की पूर्णावधि 2 महीने (80 घंटों) की होगी ।

### प्रशिक्षक

- 1 केन्द्रों के शिक्षकों का रा0ई0सु0प्रौ0सं0 द्वारा आयोजित ऑनलाइन सर्टिफिकेशन परीक्षा का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।
- 2 शिक्षकों के लिए कौशल विकास परियोजना से पूर्णतः परिचित होना अनिवार्य है ।
- 3 एक शिक्षक एक दिन में अधिकतम चार कक्षाएँ ले सकते हैं ।
- 4 शिक्षकों का आधार कार्ड संख्या अनिवार्य है ।

### समय-समय पर निम्नलिखित सूचना नाइलेट पटना,को उपलब्ध कराना अनिवार्य है ।

- 1 प्रत्येक कक्षा के छात्रों की हस्ताक्षरित उपस्थिति पंजिका ,शिक्षक एवं केन्द्र संचालक के हस्ताक्षर के साथ ।
- 2 कक्षा प्रारंभ करने की तिथि की सूचना रा0ई0सु0प्रौ0सं0 द्वारा लिखित ,ईमेल द्वारा देना अनिवार्य है ।
- 3 प्रत्येक केन्द्र को रा0ई0सु0प्रौ0सं0 द्वारा प्रेशित सभी स्वीकृतियों की मूल प्रति रखना अनिवार्य है ।
- 4 रा0ई0सु0प्रौ0सं का कोई भी प्रतिनिधि बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी केन्द्र का निरीक्षण कर सकता है अगर निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता पाई जाती है तो रा0ई0सु0प्रौ0सं तत्काल प्रभाव से उस केन्द्र को रद्द/ निरस्त करने का अधिकार रखता है ।: